संख्या:125/2022/346/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आई0टी0आई0 की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-बस्ती में वि0स0 क्षेत्र-बस्ती सदर में शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020 दिनांक 28 मार्च,2020 द्वारा राजकीय आई0टी0आई0, ग्राम किठिउरी, बस्ती के भवन निर्माण कार्य की रू. 1278.20 लाख की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 511.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-105/2021/1108/35-4-2021 दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 127.82 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-49/2022/139/35-4-2022 दिनांक 14 फरवरी, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 319.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल मिलाकर रू. 958.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। व्यावसाशिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा उक्त राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य में मिट्टी भराई की लागत में वृद्धि के साथ ही स्टील की मात्रा, बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई, 01 गेट के स्थान पर 02 गेट एवं आई0टी0आई0 के प्रांगण में बनने वाले आन्तरिक मार्ग की लम्बाई में वृद्धि होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उक्त राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 1278.20 लाख के सापेक्ष कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 1476.38 लाख पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020 दिनांक 28 मार्च,2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 511.28 लाख को प्रथम किश्त तथा शासनादेश सं0-105/2021/1108/35-4-2021 दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 127.82 लाख को द्वितीय किश्त तथा शासनादेश सं0-49/2022/139/35-4-2022 दिनांक 14 फरवरी, 2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 319.55 लाख को तृतीय किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
(3) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
(4) परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(7) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जीएसटी सम्मिलित न हो।
(8) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग यथा विद्युत पोल हेतु रू. 10.34 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का वैरीफिकेशन एण्ड रि-वैलीडेशन कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू. 25.00 लाख की धनराशि विद्युत विभाग के आगणन के आधार पर यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। निर्माण कार्य कराए जाने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
(10) आगणन प्रतिवेदन के अनुसार 30226.00 घ0मी0 मिट्टी भराई के कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट एवं कन्टूर मैप संलग्न होने के कारण मिटटी भराई के कार्यमद में रू. 96.12 लाख अनुमन्य किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराए गए कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(18) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22 मार्च, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-01/दस/2022-2023 दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:125/2022/346/2022/(1)/35-4-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बस्ती।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।